



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2014/श्रावण 8, 1936

No. 393]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2014/SHRAVANA 8, 1936

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 544(अ).—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपदा प्रबंधन (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा की शर्तों तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) नियम, 2006 का आंशिक उपान्तरण करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि सेवा की शर्तों तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) संशोधन नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय प्राधिकरण (राष्ट्रीय प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि एवं सेवा की शर्तों तथा सलाहकार समिति के सदस्यों को भत्तों का संदाय) नियम, 2006 के नियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा :

“5(क) हटाया जाना.—यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा किया जाना समीचीन समझे, तो वह किसी भी समय, राष्ट्रीय प्राधिकरण के किसी भी सदस्य को पद से हटा सकेगी।”

[फा. सं. 44-23/2014-एन.डी.एम.-II]

जी. वी. वी. शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 598(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th July, 2014

G.S.R. 544 (E).— In exercise of the powers, conferred by the sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (2) of section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government, in partial modification of Disaster Management (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee) Rules, 2006, the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Disaster Management Authority (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee Amendment) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Disaster Management Authority (Term of Office and Conditions of Service of Members of the National Authority and Payment of Allowances to Members of Advisory Committee) Rules, 2006, after Rule 5, the following rule shall be inserted, namely:—

“5A. – Removal.—If the Central Government deems it expedient so to do, it may remove from office any member of the National Authority, at any time.”

[F. No. 44-23/2014-NDM-II]

G. V. V. SARMA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 598(E), dated the 27th September, 2006.